

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
**Bihar Public Service Commission**  
**सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्ति की सूचना**  
**Vacancies for Appointment to the Post of Assistant Professors**

**आवश्यक सूचना (Important Notice)**

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य (Assistant Professor) के विभिन्न विषयों के कुल 3364 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन [विज्ञापन संख्या- 44/2014 से विज्ञापन संख्या- 84/2014 तक] प्रकाशित किए गए थे, जिसमें आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.11.2014 निर्धारित की गई है।

आयोग के उपरोक्त विज्ञापन संख्या- 44/2014 से विज्ञापन संख्या- 84/2014 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-18016/2012 Dr. Rakesh Kumar Singh & others V/s Union of India & others, CWJC No.-18834/2014 Dr. Vikas Kumar & others V/s The State of Bihar & others, CWJC No.-18971/2014 Dr. Mithilesh Chandra Mukul & others V/s The State of Bihar & others and CWJC No.-19011/2014 Dr. Amit Ranjan Singh & others V/s The State of Bihar & others में दिनांक 17.11.2014 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया है:-

" .....In the meantime, the Bihar Public Service Commission is directed to provisionally accept the applications of the petitioners and other similarly situated persons (who hold Ph.D. qualifications under the previous Regulations) and the rights of the petitioners shall abide by the results of these writ petitions. ...."

उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में जो उम्मीदवार उपरोक्त शर्त को पूरा करते हों, पूर्व में आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर प्रकाशित आवेदन प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आयोग कार्यालय में आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 20.11.2014 की संध्या 05:00 बजे से विस्तारित करते हुए सोमवार दिनांक 05.01.2015 की संध्या 05:00 बजे तक निर्धारित की जाती है। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना